झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार)

रिट याचिका (सिविल) संख्या 3103/2022

साथ

रिट याचिका (सिविल) संख्या 3111/2022

साथ

रिट याचिका (सिविल) संख्या 3113/2022

......

मेसर्स मिश्रा वाइन, (भागीदारी फर्म), जिसका कार्यालय मिहिजाम, डाकघर+थाना- मिहिजाम, जिला- जामताड़ा, झारखंड में है, अपने भागीदार के माध्यम से अर्थात प्रांतोष मिश्रा, उम्र- लगभग 50 वर्ष, पिता- भवानी प्रसाद मिश्रा, निवासी- दंगाल पारा, हिजला रोड, सोनवाडंगाल, डाकघर+थाना- सोनवाडंगाल, जिला दुमका, झारखंड, पिन-814101

.... याचिकाकर्ता (रिट याचिका (सिविल) संख्या 3103/2022 में)

धनबाद वाइन, (भागीदारी फर्म), जिसका कार्यालय फ्लैट संख्या 402, चौथी मंजिल, कौसिकी राधा रीजेंसी अपार्टमेंट, डाकघर+ थाना- झारुडीह, जिला- धनबाद (झारखंड)पिन 826001 में है; अपने भागीदार के माध्यम से अर्थात शंकर सिंह, उम्र लगभग 52 वर्ष, पिता- नरेश सिंह, निवासी- 67/03, कृष्णा नगर, मिहिजाम, डाकघर+थाना- मिहिजाम, जिला जामताड़ा (झारखंड), पिन 815354,

.... याचिकाकर्ता (रिट याचिका (सिविल) संख्या 3111/2022 में)

और

बासुकीनाथ ट्रेडर्स, (भागीदारी फर्म), जिसका कार्यालय हीरो होंडा शोरूम के पास, दुधानी, दुमका, डाकघर+थाना- दुमका, जिला- दुमका (झारखंड), पिन 814101 में है, अपने भागीदार के माध्यम से अर्थात बिमल मंडल, उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता- गुरुपाद मंडल, निवासी- मुफ्फसिल, परिसिमला, दुमका, डाकघर- पहारुडीह, थाना- दुमका, जिला- दुमका (झारखंड), पिन 814144

.... याचिकाकर्ता (रिट याचिका (सिविल) संख्या 3111/2022 में)

बनाम

1. झारखंड राज्य, अपने सचिव, उद्योग, खान और भूविज्ञान विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय योजना भवन, डाकघर+थाना- डोरंडा, जिला- रांची (झारखंड), पिन 834 002 में है।

2. उपायुक्त, देवघर, जिसका कार्यालय, जिला समाहरणालय, देवघर, डाकघर+थाना- देवघर, जिला- देवघर (झारखंड) में है।

3. जिला खनन अधिकारी, देवघर, जिसका कार्यालय जिला समाहरणालय, देवघर, डाकघर+ देवघर, जिला-देवघर (झारखंड) में है।

.... उत्तरवादीगण

(उपर्युक्त तीनों रिट याचिकाओं में)

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति, श्री रोंगोन मुखोपाध्याय,

माननीय न्यायमूर्ति, श्री दीपक रोशन

......

याचिकाकर्ताओं की ओर से:- : श्री सुमीत गाड़ोडिया, अधिवक्ता

: श्रीमती शिल्पी संदिल गाड़ोडिया, अधिवक्ता

: श्री प्रखर हर्षित

उत्तरवादियों की ओर से:- : श्री मोहन दुबे, ए.सी. (ए.जी.का)

9/दिनांक: 04 मार्च, 2024

द्वारा: दीपक रोशन, न्यायमूर्ति

1. चूंकि इन सभी रिट याचिकाओं में तथ्यों और विवाद्यकों के सामान्य प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं और पक्षकारों की सहमति से एक साथ सुना गया था और तदनुसार सभी को इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है। संबंधित रिट याचिकाओं में की गई प्रार्थनाएँ नीचे सूचीबद्ध हैं: -

रिट याचिका (सिविल) संख्या 3103/2022

(i) उत्तरवादी संख्या 3-जिला खनन अधिकारी, देवघर द्वारा जारी पत्र संख्या 689/M दिनांक 30.05.2022 (अनुलग्नक -7) को, जिसमें याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए

बिना और झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 और/या झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2017 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए, याचिकाकर्ता को रूपये 1,10,180/- की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है, जो कि याचिकाकर्ता के स्टॉकयार्ड में, कथित रूप से कम पाये गये रेत के मूल्य के दोगुने के बराबर शास्ति (पेनल्टी) राशि है ,अभिखंडित/अपास्त करने के लिये, एक उपयुक्त रिट/आदेश/निदेश जारी करने के लिये।

(ii) आगे और उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिये, यह घोषित करते हुए कि उत्तरवादी -प्राधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता से पेनल्टी के रूप में खनिज अर्थात रेत के मूल्य के दोगुने की मांग करने की कार्यवाई की झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 सपठित झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली,2017 के दायरे से बाहर है।

<u>रिट याचिका (सिविल) संख्या 3111/2022</u>

(i) उत्तरवादी संख्या 3- जिला खनन अधिकारी, देवघर द्वारा जारी पत्र संख्या 690/M दिनांक 30.05.2022 (अनुलग्नक -7) को, जिसमें याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना और झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 और/या झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली,2017 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए, रूपये 11,47,446/- की राशि बतौर शास्ति (पेनाल्टी) जमा करने का निर्देश दिया गया है, जो याचिकाकर्ता के स्टॉकयार्ड में कथित रूप से कम पाये गये रेत के मूल्य के दोगुने के बराबर है, को अभिखंडित/अपास्त करने के लिये, एक उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिये।

(ii) आगे और उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिये, जिसमे घोषणा की रिट भी शामिल है, यह घोषित करते हुए कि याचिककर्ता के स्टाक्यार्ड में रेत के स्टाक की कथित कमी के कारण याचिककर्ता से बतौर पेनल्टी खनिज अर्थात रेत के मूल्य के दोगुने की मांग करने की उत्तरवादी-प्राधिकारियों की कार्यवाई झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 सपठित झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2017 के दायरे से बाहर है।

<u>रिट याचिका (सिविल) संख्या 3113/2022</u>

(i) उत्तरवादी संख्या 3- जिला खनन अधिकारी, देवघर द्वारा जारी पत्र संख्या 688/M दिनांक 30.05.2022 (अनुलग्नक -6) को, जिसमें याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना और झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 और/या

झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली,2017 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए,याचिककर्ता को रूपये 12,43,460/- की राशि बतौर शास्ति (पेनाल्टी) जमा करने का निर्देश दिया गया है, जो याचिकाकर्ता के स्टॉकयार्ड में कथित रूप से कम पाये गये रेत के मूल्य के दोगुने के बराबर है, को अभिखंडित/अपास्त करने के लिये, एक उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिये।

(ii) आगे और उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिये, जिसमे घोषणा की रिट भी शामिल है, यह घोषित करते हुए कि याचिककर्ता के स्टाक्यार्ड में रेत के स्टाक की कथित कमी के कारण याचिककर्ता से बतौर पेनल्टी खनिज अर्थात रेत के मूल्य के दोगुने की मांग करने की उत्तरवादी-प्राधिकारियों की कार्यवाई झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 सपठित झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2017 के दायरे से बाहर है।

2. चूंकि उपरोक्त तीनों रिट याचिकाओं में अंतर्ग्रस्त तथ्य समान हैं, इसलिए संक्षिप्तता के लिए, रिट याचिका (सिविल) संख्या 3103/2022 (मेसर्स मिश्रा वाइन बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) से सम्बद्ध तथ्य इस निर्णय में नोट किये गये हैं।

3. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता को झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2017 के अनुसार एक 'डीलर' के रूप में पंजीकरण प्रदान किया गया था और याचिकाकर्ता एक स्टॉकयार्ड डीलर के रूप में पंजीकृत था और अपने डीलरशिप प्रमाणपत्र के तहत, वह वैध और विधिक स्रोतों से खनिज, अर्थात रेत उपाप्त करने के लिये हक़दार था और इसके अलावा, याचिकाकर्ता अपने स्टॉकयार्ड में संग्रहीत रेत के बिक्री के लिये भी हक़दार था।

4. झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004, विशेषकर इसके नियम 29 के अनुसार, रॉयल्टी के भुगतान का भार, खनन पट्टा क्षेत्र से खनिज हटाने पर होता है और, स्वीकृत रूप से, याचिकाकर्ता एक 'खनन पट्टेदार' नहीं है और उसके पास केवल स्टॉकयार्ड है, जहां वह रॉयल्टी की देय राशि का भुगतान करने पर खनन पट्टेदारों से कथित रेत खरीदने के बाद आगे की बिक्री के लिए रेत का भंडारण करता है।

5. याचिकाकर्ता ने विधिक और वैध प्रक्रिया के माध्यम से रेत उपाप्त किया और नवंबर, 2020 के महीने में याचिकाकर्ता के पास 40,500 घन फीट रेत का स्टॉक था, जो उसके रिटर्न में विधिवत दर्शाया गया था।

6. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि नवंबर, 2020 से उत्तरवादियों ने मनमाने ढंग से याचिकाकर्ता को परिवहन चालान जारी नहीं किया है, जिसके कारण वह 40,500 घन फीट रेत की उपरोक्त मात्रा नहीं बेच सका। इसी संबंध में, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत रिट आवेदन में उत्तरवादियों को, विशेष रूप से उत्तरवादी संख्या 3-जिला खनन अधिकारी को निर्देश देने के लिए I.A. NO. 5513/2023 के रूप में एक अलग अंतर्वर्ती आवेदन भी दायर किया है, ताकि याचिकाकर्ता को 40,500 घन फीट रॉयल्टी भुगतान की गई रेत को हटाने के लिए JIMMS पोर्टल के माध्यम से परिवहन चालान बनाने की अनुमति दी जाए। इसी तरह का अंतर्वर्ती आवेदन W.P.(C) No. 3111/2022 में दायर किया गया है, जो I.A. No. 5511/2023 है, जिसमें याचिकाकर्ता ने उत्तरवादियों को अपने स्टॉकयार्ड में संग्रहीत 1,50,900 घन फीट रॉयल्टी भुगतान की गई रेत को हटाने के लिए JIMMS पोर्टल के माध्यम से परिवहन चालान बनाने का निर्देश देने की प्रार्थना की है। W.P.(C) No. 3113/2022 में, याचिकाकर्ता ने I.A. No. 5512/2023 के माध्यम से, उत्तरवादियों को यह निर्देश जारी करने के लिए प्रार्थना की है कि वे याचिकाकर्ता को उसके स्टॉकयार्ड में पड़े 1,09,000 घन फीट रेत को हटाने के लिए JIMMS पोर्टल के माध्यम से परिवहन चालान बनाने की अनुमति दें, जैसा कि उसके मासिक रिटर्न में अभिलिखित है।

7. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि उसने रॉयल्टी का उचित भुगतान करने के बाद रेत उपाप्त की है, जिला खनन अधिकारी, देवघर के कार्यालय द्वारा 13.12.2021 को एक अभिकथित निरीक्षण किया गया, जिसमें यह अभिकथित किया गया कि निरीक्षण के दौरान याचिकाकर्ता के स्टॉकयार्ड में लगभग 12,500 घन फीट रेत कम पाई गई और दिनांक 17.01.2022 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को अपना जवाब दाखिल करने का निदेश दिया गया।

8. याचिकाकर्ता ने अपना जवाब पेश किया और निरीक्षण रिपोर्ट पर आपत्ति जताई और अपने जवाब दिनांक 14.02.2022 के जरिए उत्तरवादी-प्राधिकारी से नए सिरे से निरीक्षण करने का अनुरोध किया और उसके बाद, याचिकाकर्ता के स्टॉकयार्ड में पड़े रेत का पुनः मापन का कार्य उत्तरवादी संख्या 3 के कार्यालय द्वारा 11.04.2022 को किया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता के स्टॉकयार्ड में 7000 घन फीट रेत कम पाई गई। उक्त निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता को नहीं दी गई और सीधे, उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा पत्र संख्या 689/M दिनांक 30.05.2022 में अंतर्विष्ट आदेश जारी किया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता के स्टॉकयार्ड में 7000 घन फीट रेत कम पाई गई, और 787/- प्रति सौ घन फीट की दर से रेत का मूल्य निर्धारित कर, अभिकथित रूप से काम पाई गयी रेत के मूल्य के दोगुने के बराबर पेनल्टी याचिकाकर्ता पर अधिरोपित किया गया और याचिकाकर्ता को सात दिनों की अवधि के भीतर उक्त राशि जमा करने का निदेश दिया गया, ऐसा न करने

पर, यह संकेत दिया गया था कि याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया गया भंडारण लाइसेंस उत्तरवादी द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। पेनल्टी आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने इस माननीय न्यायालय के पास पहुँचा (दरवाजा खटखटाया) है।

9. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सुमीत गाड़ोदिया ने मुख्य रूप से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क देकर पेनल्टी आदेशों का विरोध किया कि न तो 'झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2017' के प्रावधानों के तहत, और न ही 'झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004' के तहत स्टॉकयार्ड डीलर पर स्टॉकयार्ड में पाये गये रेत की अभिकथित कमी के आधार पर रेत के मूल्य का दोगुना पेनल्टी उद्गृहीत करने का कोई प्रावधान है।

10. विद्वान वकील ने नियमावली, 2017 के नियम 13 को निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत किया कि कथित नियम किसी भी व्यक्ति पर, जो नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या खनिजों की खरीद या बिक्री या भंडारण करता है और परिवहन चालान के बिना खनिजों के परिवहन में लिप्त होता है, पेनल्टी उद्ग्रहीत करने का प्रावधान करता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि नियम 13 के तहत लगाया जाने वाला पेनल्टी, झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार होगा। इसके अलावा, झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम 54(5) और नियम 54(8) पर भरोसा जताया गया और यह प्रस्तुत किया गया है कि, हालांकि उपरोक्त नियम खनिज के मूल्य से दोगुना पेनल्टी लगाने का प्रावधान करते हैं, लेकिन, उपरोक्त नियमों के अवलोकन मात्र से यह प्रदर्शित होगा कि उक्त नियम खनिज के अवैध परिवहन और/या खनिजों के अवैध खनन के लिए पेनल्टी लगाने का प्रावधान करते हैं और, इस अभिकथित आधार पर कि डीलर के स्टॉकयार्ड में उसके द्वारा दाखिल खनन रिटर्न की तुलना में खनिज का कुछ स्टॉक कम पाया गया, खनिज के मूल्य से दोगुना पेनल्टी लगाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

11. यह विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है कि विधानमंडल ने अपने विवेक से, जानबूझकर डिपो/स्टॉकयार्ड में रेत की अभिकथित कमी के लिए पेनल्टी निर्धारित नहीं किया है, विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि स्टॉकयार्ड में जो रेत संग्रहीत की गई है, वह संबंधित खनन पट्टेदार को रॉयल्टी और खनिज मूल्य के भुगतान के बाद की है। इस प्रकार, यदि रेत के मूल्य के दोगुने के बराबर पेनल्टी लगाया जाता है, तो यह डिपो मालिक से रेत के मूल्य का तीन गुना मूल्य वसूलने के बराबर होगा, जिसने रॉयल्टी का भुगतान करने के बाद रेत पहले ही खरीद ली है और फिर से रेत के मूल्य की देयता के बोझ तले दब जाएगा, जो स्पष्टतः नियमों को विरचित करते समय, (ऐसा) इरादा नहीं था। इस आधार पर, याचिकाकर्ता ने पेनल्टी अधिरोपित करने के आदेश को अभिखंडित करने की प्रार्थना की है और आगे जिला खनन

अधिकारी को तुरंत परिवहन चालान जारी करने का निर्देश देने की प्रार्थना की है, जिसे रेत के संबंध में, जो कि विधिमान्य और वैध स्रोतों से खरीदे जाने के बाद याचिकाकर्ता के डिपो/स्टॉकयार्ड में संग्रहीत है, अवैध रूप से रोक लिया गया है।

12. इसके विपरीत, उत्तरवादी-राज्य की ओर से उपस्थित श्री मोहन दुबे, ए.जी. के ए.सी. ने प्रस्तुत किया कि, प्रारंभ में, याचिकाकर्ता के रेत डिपो में निरीक्षण किया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल खनन रिटर्न की तुलना में रेत की कुछ मात्रा कम पाई गई थी और याचिकाकर्ता को कारण बताने का निदेश दिया गया था कि क्यों न उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अपना जवाब दाखिल किया और पुनः-माप के लिए अनुरोध किया और उसके बाद, उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा पुनः-माप भी किया गया और फिर से याचिकाकर्ता के स्टॉकयार्ड में रेत की कुछ मात्रा कम पाई गई। उक्त परिस्थितियों में, उत्तरवादी प्राधिकरण ने, 2017 के नियमावली के नियम 13 सपठित जे.एम.एम.सी. नियमावली, 2004 के नियम 54(8) के तहत शक्तियों के प्रयोग में, याचिकाकर्ता पर उसके डिपो/स्टॉकयार्ड में कम पाई गई रेत के मूल्य का दोगुना पेनल्टी अधिरोपित किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने पेनल्टी राशि का भुगतान नहीं किया, इसलिए याचिकाकर्ता का परिवहन चालान उत्तरवादी प्राधिकारी द्वारा रोक लिया गया है।

13. हमने पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया और तीनों रिट याचिकाओं में की गई अभिवचनों का अवलोकन किया।

14. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता स्टॉकयार्ड/डिपो रखने वाले डीलर हैं और वे अपने डीलर लाइसेंस के अनुसार रेत खरीदने और बेचने के हकदार हैं। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि जे.एम.एम.सी. नियमावली, 2004 के नियम 29 के तहत रेत पर रॉयल्टी के भुगतान का भार खदानों से खनिजों को हटाने पर है, और, रेत, जो कि याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यापार के उद्देश्य से उपाप्त किया गया है, स्वीकृत रूप से रॉयल्टी चुकाया हुआ है।

15. इस प्रकार, वर्तमान रिट याचिकाआं में शामिल संक्षिप्त प्रश्न यह है कि

> *'क्या स्टॉकयार्ड डीलर पर रेत के मूल्य का दोगुना पेनल्टी अधिरोपित किया जा सकता है, केवल इस कारण कि उत्तरवादी-प्राधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान डीलर द्वारा दायर खनन रिटर्न की तुलना में उसके स्टॉकयार्ड में रेत की कुछ मात्रा अभिकथित रूप से कम पाई गई थी?'*

16. उत्तरवादी-झारखंड राज्य ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 के तहत शक्तियों के प्रयोग में झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004

बनाया। जे.एम.एम.सी. नियमावली, 2004 के तहत नियमावली के नियम 54(5) और नियम 54(8) के अधीन पेनल्टी अधिरोपित करने का प्रावधान किया गया है। कथित नियम 54(5) और 54(8) को त्वरित संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:-

54. लघु खनिजों के अनधिकृत रुप से उत्खनन तथा परिवहन के लिए दण्ड-

(1) कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के विरुध्द लघु खनिजों का उत्खनन करते हैं अथवा उनकी और से यदि किसी एजेण्टए मैनेजर, किसी कर्मचारी अथवा किसी ठेकेदार द्वारा ऐसा उत्खनन अथवा परिवहन किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति लघु खनिज के अवैध निष्कासन के भागीदार समझे जायेंगे तथा ऐसे व्यक्तियों को अधिकतम एक वर्ष की क़ैद अथवा अधिकतम 50,000/- (पचास हज़ार रुपये) जुर्माना अथवा दोनों सज़ाएं दी जासकेगी।

XXX **XXX** **XXX**

(5) यदि किसी वाहन को कोई चालक लघु खनिज को परिवहन करते समय सक्षम पदाधिकारी अथवा निदेशक, खान अथवा अपरनिदेशक खान अथवा उपनिदेशक खान अथवा जिला / सहायक खनन पदाधिकारी अथवा समाहर्ता या समाहर्ता या समाहर्ता या राज्य सरका द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी को प्रपत्र 'एम' अथवा झारखण्ड खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के अन्तर्गत फार्म 'डी' में परिवहन चालान दिखाने में असफल रहता है कि अथवा निरीक्षण से इन्कार करता है, तो उसे अधिकतम 1 वर्ष की क़ैद अथवा खनिज मूल्य की दोगुनी राशि के बराबर दण्ड अथवा दोनों एक साथ दण्ड दिया जा सकता है तथा दूसरी एंव तीसरी बार वैध परिवहन चालान प्रस्तूत नहीं किए जाने पर उपरोक्त दण्ड की राशि क्रमशः 50,000/–(पचास हजार) रूपये एंव 1,00,000/- (एक लाख) रुपये होगी। जांच करने वाले पदाधिकारी द्वारा अवैध परिवहन करते पाये जाने पर वाहन को खनिज सहित जब्त किया जाएगा तथा जिसे किसी सरकारी प्रतिष्ठान में अथवा स्थानीय थाना प्रांगण में सुरक्षित रखा जाएगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा अवैध परिवहनकर्ता के उपरोक्त दण्ड शुल्क एंव इस आशय का बंधपत्र (बौंड पेपर) समर्पित किए जाने पर कि न्यायालय द्वारा नोटिस दिए जाने पर उपस्थित होंगे, वाहन को खनिज सहित छोड़ा जा सकता है, परन्तु अवैध परिवहनकर्ता पर नियमानुकूल कार्रवाई हेतु इसकी सूचना न्यायिक दण्डाधिकारी को दी जाएगी। बंधपत्र का प्रपत्र निदेशक, खान द्वारा अलग से परिचालित किया जायगा।"

Rule 54(8)

"(8) कोई भी व्यक्ति जिसके पास, वैध खनन पट्टा / अनुमति-पत्र नहीं है, यदि वह लघु खनिजों का निष्कासन करता है अथवा इन नियमों के विरुध्द उसकी ओर से कोई एजेण्ट, मैनेजर या किसी ठेकेदार के द्वारा ऐसा निष्कासन किया जाता है तो वह लघु खनिजों के अवैध निष्कासन का आरोपी होगा तथा उससे खनिजों के मूल्य के बराबर तक का दण्ड वसूलनीय होगा। साथ ही सरकार ऐसे व्यक्ति से जैसा कि मामला बनता हो, भूमि पर बिना वैध प्राधिकारी की अनुमति से किए गए कब्ज़े की अवधि का लगान, स्वामित्व या कर की वसूली किसी अन्य कानून या नियम जो उस वक़्त लागू हो, में उसके विरुध्द की जाने वाली कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना की जा सकेगी।"

17. झारखंड राज्य ने इसके अलावा 'खान और खनिज़ा (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23-सी (1) और 23-सी (2) के तहत शक्तियों के प्रयोग में 'झारखंड लघु खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2017' का प्रख्यापन किया। 2017 के उक्त नियमावली को झारखंड राज्य द्वारा प्रमुख रूप से झारखंड राज्य में किसी भी स्थान से किसी भी खनिज के परिवहन या अन्यथा हटाने को विनियमित करने के लिए प्रख्यापित किया गया है। 2017 के उक्त नियमावली का नियम 7 निषेध का प्रावधान करता है, अर्थात 'डीलर' के रूप में पंजीकृत हुए बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी खनिज की खरीद, भंडारण, बिक्री या खरीद, बिक्री, प्रसंस्करण के किसी भी संव्यवहार को प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। स्वीकृत रूप से, याचिकाकर्तागण उपरोक्त नियमावली के तहत 'डीलर' के रूप में पंजीकृत हैं और इनके द्वारा लघु खनिज अर्थात रेत खरीदने या बेचने के लिए डीलरशिप लाइसेंस प्राप्त किया गया था। इस बाबत कोई विवाद नहीं है कि रेत, जिसे याचिकाकर्ताओं ने खरीदा और अपने स्टॉकयार्ड में संग्रहीत किया था, विधिक और वैध स्रोत से विधिवत खरीदा गया है और यह रॉयल्टी चुकाई गई रेत है। उत्तरवादियों ने अपने जवाबी हलफनामे में याचिकाकर्ताओं द्वारा लिए गए कथित स्टैंड पर विवाद नहीं किया है।

18. इसके अलावा, 2017 के उक्त नियमावली का नियम 13 नियमों के उल्लंघन के लिए पेनल्टी विहित करता है और तत्पर संदर्भ के लिए, 2017 के नियमावली के नियम 13 को नीचे उद्धृत किया गया है:-

"13. शास्तियाँ :

(i) कोई भी व्यक्ति, जो इन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, या खनिजों की खरीद या बिक्री या भंडारण करता है, सिवाय डीलर्स रजिस्ट्रेशन के निबंधनों और शर्तों के अधीन और उसके अनुसार या जो खनिजों का परिवहन करता है, सिवाये जैसा

कि परिवहन चालान में उल्लिखित है या परिवहन चालान के बिना खनिज का परिवहन करता है, जे.एम.एम.सी नियमावली, 2004 के प्रावधान के अनुसार और जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार दंडनीय होगा।

(ii) जो कोई सक्षम अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को इन नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन करने में जानबूझकर बाधा डालता है, वह एक वर्ष तक की अवधि के कारावास से या जुर्माने से, जो 25,000/- तक हो सकता है या दोनों से दंडनीय होगा।"

19. वर्तमान मामले में, उत्तरवादियों ने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ताओं ने 2017 के नियमावली के नियम 13 का उल्लंघन किया है और इस प्रकार, वे जे.एम.एम.सी नियमावली, 2004 के नियम 54(8) के तहत खनिज के मूल्य से दोगुना पेनल्टी के लिए उत्तरदायी हैं। नियम 13 के अवलोकन मात्र से यह प्रकट होगा कि उक्त नियम यह प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या खनिजों की खरीद या बिक्री या भंडारण करता है सिवाये डीलर्स रजिस्ट्रेशन निबंधनों और शर्तों के अनुसार, तो वह जे.एम.एम.सी नियमावली, 2004 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार दंडनीय होगा। इस प्रकार, यद्यपि हम यह मान भी लें कि डीलर ने खनिजों के भंडारण के संबंध में नियमों का उल्लंघन किया है, फिर भी जो प्रश्न अभी भी तय किया जाना है वह यह है कि *"क्या याचिकाकर्ताओं को जे.एम.एम.सी नियमावली, 2004 के नियम 54(5) या 54(8) के अनुसार खनिज के मूल्य का दोगुना पेनल्टी लगाया जा सकता है?"*

20. जे.एम.एम.सी नियमावली, 2004 के नियम 54(5) का ध्यानपूर्वक अवलोकन से प्रकट होगा कि उक्त नियम वहां लागू होता है जहां कोई व्यक्ति खनिज के परिवहन में लगा हुआ है और परिवहन के समय, निरीक्षण के दौरान, अपेक्षित फॉर्म-डी अर्थात परिवहन चालान प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तब ऐसे व्यक्ति पर उसके द्वारा परिवहन किए जा रहे खनिज के मूल्य का दोगुना पेनल्टी अधिरोपनीय होगा।

21. इसी तरह, जे.एम.एम.सी नियमावली, 2004 का नियम 54(8) पेनल्टी लगाने का प्रावधान करता है, जहां कोई व्यक्ति, जिसके पास कोई वैध खनन पट्टा नहीं है, खनिज के उत्खनन में लगा हुआ है। प्रस्तुत मामलों में, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संविधिक फॉर्म-डी के बिना खनिजों का परिवहन करने या किसी भी अवैध खनन में शामिल होने का कोई आरोप नहीं है।

22. वस्तुत:, पेनल्टी अधिरोपित करने वाले आदेश से, यह स्पष्ट है कि यद्यपि उक्त आदेश में याचिकाकर्ताओं पर खनिज के मूल्य का दोगुना पेनल्टी लगाया गया है, परंतु ऐसा पेनल्टी लगाते समय किसी ऐसे नियमावली का संदर्भ नहीं दिया गया है जो संबंधित अधिकारी को

स्टॉकयार्ड में खनिज के अभिकथित भंडारण के लिए खनिज के मूल्य का दोगुना पेनल्टी लगाने में सक्षम बनाता हो।

23. हमने जे.एम.एम.सी नियमावली, 2004 के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और हम ऐसा कोई नियम पाने में अक्षम हैं जो केवल इसलिए पेनल्टी अधिरोपित करने का प्रावधान करता है क्योंकि स्टॉकयार्ड डीलर के स्टॉक में कुछ विसंगतियां हैं। उत्तरवादी-राज्य भी ऐसा कोई प्रावधान बताने में असमर्थ रहा है और उत्तरवादी-राज्य द्वारा केवल जे.एम.एम.सी नियमावली, 2004 के नियम 54(8) पर भरोसा किया गया है, जो हमारे विचार से, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है।

अन्यथा भी, जैसा कि श्री गड़ोडिया द्वारा सही बताया गया है; याचिकाकर्ताओं ने पहले ही उचित रॉयल्टी के साथ रेत का पूरा मूल्य चुका कर रेत खरीद ली है, और, यदि स्टॉकयार्ड में स्टॉक की अभिकथित कमी के कारण याचिकाकर्ताओं पर रेत के मूल्य का दोगुना पेनल्टी लगाया जाता है, तो उक्त प्रावधान अनुचित रूप से कठोर हो जाएगा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को रेत के मूल्य का तीन गुना भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा, जो विधि के तहत परिकल्पित नहीं है।

24. उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा विचार है कि पेनल्टी अधिरोपित करने वाले आदेश, विधि के किसी भी संविधिक प्रावधान द्वारा समर्थित नहीं हैं और इसलिए पेनल्टी आदेश अभिखंडित और अपास्त किये जाने योग्य हैं।

25. यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ताओं, अर्थात् मिश्रा वाइन, धनबाद वाइन और बासुकीनाथ ट्रेडर्स के अपने स्टॉकयार्ड में क्रमशः 40,500-घन फीट, 15,09,00 घन फीट और 1,09,000 घन फीट रेत का स्टॉक है। कथित रेत को, जिसे संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा वैध और विधिमान्य स्रोतों से खरीदा गया है, याचिकाकर्ताओं द्वारा बेचने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि पेनल्टी अधिरोपण के आदेश हैं और इसलिए भी क्योंकि उत्तरवादियों ने याचिकाकर्ताओं को परिवहन चालान जारी करना बंद कर दिया है। हमारे विचार में, याचिकाकर्ताओं को प्रश्नगत रेत बेचने से नहीं रोका जा सकता है, जिसे उनके द्वारा राज्य सरकार को रेत की कीमत का सम्यक भुगतान करने के बाद, रॉयल्टी के भुगतान सहित, खरीदा गया है और, तदनुसार, याचिकाकर्तागण उपरोक्त रेत की बिक्री और परिवहन के लिए परिवहन चालान जारी कराने के भी हकदार हैं।

26. फलस्वरूप, प्रस्तुत रिट याचिकाएं मन्ज़ूर की जाती हैं और पत्र संख्या 689/M दिनांक 30.05.2022 [अनुलग्नक-7, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 3103/2022 में], पत्र संख्या 690/M दिनांक 30.05.2022 [अनुलग्नक-7, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 3111/2022 में], और पत्र संख्या 688/M दिनांक

30.05.2022 [अनुलग्नक-6, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 3113/2022 में] में अंतर्विष्ट आक्षेपित/विवादित आदेशों को इसके द्वारा अभिखंडित और अपास्त किया जाता है। उत्तरवादी-जिला खनन अधिकारी को याचिकाकर्ताओं के JIMMS पोर्टल को तुरंत खोलने (अनब्लॉक) करने और याचिकाकर्ताओं को रेत की बिक्री और परिवहन के लिए परिवहन चालान बनाने की अनुमति देने का भी निर्देश दिया जाता है, जो कि उनके खनन रिटर्न में विधिवत दर्शाया गया है। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/प्रस्तुत होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर याचिकाकर्ताओं का ऑनलाइन पोर्टल खोला जाना चाहिए।

27. तदनुसार, सभी रिट आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। लंबित अंतर्वर्ती आदेशों (I.As.), यदि कोई हो, का भी निपटारा हो गया। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, ख़र्च के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(रोंगोन मुखोपाध्याय, न्या.)

(दीपक रोशन, न्या.)

अमरदीप/-
AFR

यह अनुवाद शबनम (पैनल अनुवादक) द्वारा किया गया।